दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 13 अगस्त, 2024

आप.पु.या. 331/2023 एवं आप.वि.(ज़) 443/2023

मनोज प्रसाद ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री मनोज कुमार रॉय, अधिवक्ता

बनाम

राज्य और अन्य ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री सुनील कुमार गौतम, राज्य के लिए अति.लो.अभि. श्री मंजीत सिंह चौहान और सुश्री संध्या महतो, अधिवक्तागण

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित महाजन

<u>न्या. अमित महाजन (मौखिक)</u>

1. वर्तमान याचिका विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (**अति.स.न्या.**), द्वारका न्यायालय, दिल्ली (इसके बाद '**अपीलीय न्यायालय**') द्वारा आपराधिक अपील संख्या 144/2019 में पारित दिनांक 19.12.2022 (इसके बाद '**आक्षेपित आदेश**') के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

2. विद्वान अपीलीय न्यायालय ने, आक्षेपित आदेश द्वारा, दिनांक 10.12.2018 के दोषसिद्धि के निर्णय को बनाए रखा है और विद्वान महानगर

दंडाधिकारी-01, एनआई एक्ट, द्वारका न्यायालय, दिल्ली (इसके बाद **'विचारण न्यायालय**') द्वारा सीसी संख्या 4991179/2016 में पारित दिनांक 23.02.2019 के सजा के आदेश को इस सीमा तक संशोधित किया है कि याचिकाकर्ता को आदेश के दो महीने के भीतर 2,10,000/- रुपये की राशि में मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था और चूक होने पर, सात दिनों की अवधि के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने को कहा गया था।

3. दिनांक 10.12.2018 को दोषसिद्धि पर निर्णय द्वारा, विद्वान महानगर दंडाधिकारी (**म.दं.**) (एनआई अधिनियम)-01, दक्षिण-पश्चिम जिला, दिल्ली (विचारण न्यायालय) ने याचिकाकर्ता को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 ('एनआई एक्ट') की धारा 138 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया था। दिनांक 23.02.2019 को सजा के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को सात दिनों की अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई और शिकायतकर्ता को ₹2,80,000/- का मुआवजा देने का आदेश दिया गया।

4. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

4.1. आरोप है कि जनवरी 2015 में, याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता से संपर्क किया और प्रस्ताव दिया कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी की कार संख्या डीएल-1 एल-एस-6794 को ग्यारह महीने की अवधि के लिए किराए पर लेगा और

बदले में, वह 13,000 रुपये प्रति माह किराए के रूप में देगा। इस संबंध में, उनके बीच 30.01.2015 को एक अनुबंध हुआ था।

4.2. यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता बाद में ₹13,000/- के सहमत मासिक भुगतान करने के अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहा। मार्च 2015 में, याचिकाकर्ता ने आश्वासन दिया कि वह तीन किस्तों में ₹1,43,000/- (ग्यारह माह के लिए ₹13,000/- प्रति माह) की पूरी बकाया राशि का भुगतान करेगा।

4.3. ग्यारह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद, याचिकाकर्ता ने अपनी बकाया देनदारी का निपटान करने के प्रयास में, इलाहाबाद बैंक, बिंदापुर पर आहरित ₹1,40,000/- की राशि का चेक संख्या 052946 दिनांक 17.12.2015 को प्रत्यर्थी को सौंप दिया। हालाँकि, प्रस्तुत करने पर, यह चेक अनादरित हो गया और इसे इस पृष्ठांकन के साथ वापस कर दिया गया- "अपर्याप्त निधि"। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को दिनांक 04.01.2016 को एक विधिक नोटिस भेजा गया। याचिकाकर्ता ने नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं किया और इसी के कारण विषयगत शिकायत दर्ज की गई।

4.4. विचारण के दौरान, शिकायतकर्ता से शि.सा.-1 के रूप में पूछताछ की गई। उसने अन्य दस्तावेज भी साबित किए जैसे कि उसका शपथपत्र, कार

किराए पर लेने का अनुबंध, प्रश्नगत चेक और उनके रिटर्न मेमो, याचिकाकर्ता को जारी किया गया डिमांड नोटिस और साथ ही उसकी डाक रसीदें।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने 10.12.2018 के निर्णय के माध्यम याचिकाकर्ता को एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया। विद्वान विचारण न्यायालय ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि उसने शिकायतकर्ता का वाहन (कार) ₹13,000/- प्रति माह किराए पर लिया था। याचिकाकर्ता का यह बचाव कि उसने तीन महीने की अवधि के लिए किराया चुकाया था, किसी भी सबूत से पुष्ट नहीं होता है। याचिकाकर्ता ने प्रश्नगत चेक पर अपने हस्ताक्षरों पर विवाद नहीं किया और यह भी स्वीकार किया कि चेक उसके बैंक खाते से निकाला गया था, जिससे एनआई अधिनियम की धारा 118(क) और 139 के तहत उपधारणा स्वतः ही लागू हो गया था। यह टिप्पणी की गई कि याचिकाकर्ता उक्त उपधारणाओं का खंडन करने में विफल रहा।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता के इस बचाव को खारिज कर दिया कि संबंधित चेक शिकायतकर्ता को भविष्य/आकस्मिक देयता के संबंध में एक खाली हस्ताक्षरित चेक के रूप में सौंपा गया था, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता अभिवाक् को साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेजी सबूत अभिलेख

पर लाने में विफल रहा है। यह टिप्पणी की गई कि याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया था कि उसे विधिक मांग नोटिस प्राप्त हुआ था और इसका जवाब न देने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

7. विद्वान अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने सही रूप से टिप्पणी की थी कि याचिकाकर्ता कोई संभावित बचाव प्रस्तुत करके उपधारणाओं का खंडन करने में विफल रहा है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित चेक याचिकाकर्ता द्वारा किसी प्रतिभूति के निर्वहन में नहीं दिया गया था तथा प्रत्यर्थी द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह गलत तरीके से टिप्पणी की गई थी कि इस संबंध में याचिकाकर्ता का बचाव संभावनाओं की प्रबलता के पैमाने पर साबित नहीं हुआ था।

9. उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय इस तथ्य को समझने में विफल रहा कि 30.01.2015 के अनुबंध के ग्यारह महीने 30.12.2015 को पूरे होने थे, जिससे देयता समयपूर्व देयता बन गई जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। उन्होंने कहा कि 17.12.2015 का प्रश्नगत चेक प्रस्तुत किया गया था और

30.01.2015 के अनुबंध की अवधि समाप्त होने से बहुत पहले "अपर्याप्त निधि" के कारण बिना भुगतान के वापस कर दिया गया था।

10. वह प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने इस प्रकार एनआई अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत उपधारणा का खंडन किया था क्योंकि कोई विधिक रूप से लागू करने योग्य ऋण नहीं था।

11. *इसके विपरीत,* प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान म.दं. और विद्वान अति.स.न्या. ने याचिकाकर्ता के बचाव के हर पहलू को कवर करते हुए व्यापक निर्णय पारित किए हैं और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य की गहन जांच करने के बाद, उन्होंने याचिकाकर्ता को एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए सही रूप से दोषी ठहराया है।

<u>विश्लेषण</u>

12. चूंकि वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दं.प्र.सं. की धारा 397 के तहत दायर की गई है, जिसमें दोनों विचारण न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों को चुनौती दी गई है, इस न्यायालय की भूमिका आक्षेपित निर्णय की सत्यता, वैधानिकता और औचित्य का आकलन करने तक ही सीमित है।

13. यह सामान्य विधि है कि उच्च न्यायालय को दं.प्र.सं. की धारा 397/401 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय, विशेष रूप से जब वह दूसरी अपील की प्रकृति का हो, संयम बरतना चाहिए और उसे आक्षेपित आदेशों में निष्कर्षों में

हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या सबूतों का पुनर्मूल्यांकन केवल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरा अवलोकन संभव है, जब तक कि आक्षेपित आदेश पूरी तरह से अनुचित या कानून की दृष्टि से अस्थिर न हों (संदर्भ ***संजयसिंह रामराव चव्हाण बनाम दत्ताराय गुलाबराव फाल्के:*** **(2015) 3 एससीसी 123)**। न्यायालय चुनौती के अधीन आदेशों पर स्वयं सुनवाई कर पुनरीक्षण कार्यवाहियों को त्रुटिपूर्ण रूप से द्वितीय अपील मानने हेतु स्वतंत्र नहीं है। ***केरल राज्य बनाम पुट्टुमना इल्लथ जथावेदन नंबूदरी:*** **(1999) 2 एससीसी 452** के मामले में माननीय न्यायालय ने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के दायरे पर चर्चा की और निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

> *"5. ....अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में, उच्च न्यायालय किसी भी कार्यवाही के अभिलेख को मंगवा सकता है और उसकी जांच कर सकता है, ताकि किसी निष्कर्ष, सजा या आदेश की सत्यता, वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट कर सके। दूसरे शब्दों में, यह क्षेत्राधिकार न्याय की चूक को सुधारने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार में से एक है।* ***लेकिन उक्त पुनरीक्षण शक्ति की तुलना अपीलीय न्यायालय की शक्ति से नहीं की जा सकती और न ही इसे द्वितीय अपीलीय क्षेत्राधिकार के रूप में माना जा सकता है। इसलिए, सामान्यतः यह उचित नहीं होगा कि उच्च न्यायालय साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करे और उस पर अपना निष्कर्ष निकाले, जब अपील में साक्ष्य का मूल्यांकन दंडाधिकारी और सत्र न्यायाधीश द्वारा पहले ही किया जा चुका हो, जब तक कि कोई स्पष्ट बात उच्च न्यायालय के ध्यान में न लाई जाए, जो अन्यथा घोर अन्याय के समान होगी...."***
>
> (जोर दिया गया)

14. यह तर्क दिया गया है कि आक्षेपित चेक किसी दायित्व के निर्वहन में नहीं दिया गया था और प्रत्यर्थी ने उक्त प्रश्नगत चेक का दुरुपयोग किया था। आगे यह तर्क दिया गया कि प्रश्नगत चेक प्रतिभूति चेक की प्रकृति का था और चेक प्रस्तुत करने की तिथि पर चेक राशि का भुगतान करने की देयता उत्पन्न नहीं हुई थी। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कार किराए पर लेने के अनुबंध के अनुसार, अनुबंध 30.01.2015 से प्रभावी हुआ और प्रश्नगत चेक की तारीख 17.12.2015 थी, और इस प्रकार, ₹1,40,000/- का भुगतान करने की देयता उत्पन्न नहीं हुई।

15. दिनांक 10.12.2018 को दोषसिद्धि संबंधी निर्णय और आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता के तर्क पर क्रमशः विद्वान विचारण न्यायालय और विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा विस्तार से विचार किया गया है।

16. सबसे पहले, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि विवादित चेक पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर को अस्वीकार नहीं किया गया है। यह सामान्य कानून है कि एक बार चेक के निष्पादन को स्वीकार कर लेने के बाद, एनआई अधिनियम की धारा 118 के तहत यह उपधारणा कि प्रश्नगत चेक प्रतिफल के लिए जारी किया गया था, तथा एनआई अधिनियम की धारा 139 के तहत यह उपधारणा कि चेक धारक/प्रत्यर्थी ने कानूनी रूप से लागू ऋण या देयता के निर्वहन में चेक प्राप्त

किया था, अभियुक्त के विरुद्ध उठाई जाती है [संदर्भ ***रंगप्पा बनाम श्री मोहन:*** **(2010) 11 एससीसी 441]**।

17. जबकि यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपनी गवाही के माध्यम से यह साबित करके उक्त उपधारणाओं का खंडन किया है कि विवादित चेक उसने प्रत्यर्थी को मात्र प्रतिभूति चेक के रूप में दिया था, न कि किसी देयता के निर्वहन के लिए और उसने तीन महीने का किराया भी चुकाया था, तथापि, जैसा कि विचारण न्यायालयों ने सही रूप से समझा है, याचिकाकर्ता ने इस आशय का कोई दस्तावेजी या प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

18. विद्वान अपीलीय न्यायालय ने, आक्षेपित आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता के इस तर्क का उचित रूप से उल्लेख किया कि चेक प्रस्तुत किए जाने की तिथि पर ₹1,40,000/- की चेक राशि का भुगतान करने की उसकी कोई देयता नहीं थी, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि कार किराये की अवधि 30.01.2015 से शुरू हुई थी और शिकायतकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता ने उसे कोई किराया नहीं दिया, इसलिए, याचिकाकर्ता पर 01.12.2015 तक - यानी ग्यारहवें महीने के प्रारंभ पर ₹1,43,000/- का भुगतान करने की देयता थी। इस प्रकार याचिकाकर्ता के बचाव को विद्वान विचारण न्यायालय और विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा सही रूप से खारिज कर दिया गया।

19. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय को विचारण न्यायालयों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, इस न्यायालय की राय में, आक्षेपित आदेश में कोई स्पष्ट अवैधता नहीं है, जिसके लिए विचारण न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो।

20. इसलिए वर्तमान याचिका खारिज की जाती है। लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का भी निपटान कर दिया गया है।

न्या. अमित महाजन

13 अगस्त 2024

"एसएस"

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*